न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 34/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सोहनलाल पुत्र श्री लुम्बाराम जाति बावरी निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. सुगनाराम पुत्र लुम्बाराम जाति बावरी, निवासी हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा 2. सरकार जरिये तहसीलदार साहब बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री जी.एल.कंसारा अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री एन.एस. सोलंकी अधिवक्ता

अप्रार्थी संख्या 2 सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: दिनांक 21-12-2017

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही पूर्व पुरूष की संताने एवं आपस में सगे भाई है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा में खसरा नम्बर 632/7 रकबा 8 बीघा गै.मु. मगरा, खसरा नम्बर 940 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के पिता श्री लूम्बाराम जी का सम्पूर्ण हक हिस्सा है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता श्री लूम्बाराम जी का देहान्त काफी वर्ष पूर्व हो चुका है, इसलिए उपरोक्त खसरान की वादग्रस्त भूमि में स्व. श्री लूम्बाराम के देहान्त के बाद राजस्व रेकर्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा कानूनन बंट व हिस्से में आता है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सयुक्त रूप से काबिज होकर साहूलियत अनुसार काश्त कार्य करते आ रहे है, जिसका आज दिन तक कानूनन नाप एवं सीमांकन कर बंटवाड़ा नही हुआ है, इसी अनुसार पक्षकारान अपना हिस्सा बंटवाड़ा अलग प्राप्त करने व राजस्व रेकर्ड में अमल

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

लगातार --- पेज-2

दरामद करने के अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार कहा जिससे की दोनो पक्षकार अपनी कृषि भूमि का उचित उपयोग कर सके परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी सूरत में बंटवाड़ा कराना नही चाहता है एवं अपनी मनमर्जी से एव लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है जबकि बिना किसी विधिवत् बंटवाड़ा के वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार से बैचान हस्तान्तरण करने एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल नही किया जा सकता परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उपरोक्त वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने एवं काश्त कार्य, ट्रेक्टर वगैरा लाने ले जाने, निराई गुडाई वगैरा नही करने हेतु बार बार तंग परेशान करने एवं काश्त कार्य में बार बार रोकने एवं बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थी को मजबूर होकर वादग्रस्त आराजी का नाप व सीमांकन कर, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 हर समय प्रार्थी को अपने हक हिस्से की वादग्रस्त भूमि में काश्त कार्य करने, ट्रेक्टर वगैरा लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करने व रोक टोक करने तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 940 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में जबरन अवैध रूप से पत्थर निकाल से रोकने पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा एलानिया धमकिया दी गयी कि प्रार्थी को वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में काश्त करने नही देगे तथा ट्रेक्टर वगैरा लाने ले जाने नही देंगे तथा खसरा नम्बर 940 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में जबरन अवैध रूप से पत्थर निकालेगा तथा वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 अपनी मनमर्जी से काश्त, निर्माण, खनन कार्य वगैरा करेगा तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की भूमि का 1/2, 1/2 हक हिस्से का बंटवाड़ा कागजो में यानि राजस्व रेकर्ड में नही करेगा तथा प्रार्थी को तंग परेशान कर भूमि आवागमन व काश्त नही करने देगा, जबकि वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की उक्त सम्पूर्ण भूमि में प्रत्येक इंच की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2–1/2 हक व हिस्सा कानूनन है। अप्रार्थी संख्या 1 झगडालू, बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर सीमांकन कर बंटवाड़ा करना नही चाहते है तथा वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी को काश्त कार्य नही करने देने एवं

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी

लगातार - - पेज-3

आवागमन में बार बार रोक टोक कर झगड़ा टंटा करता रहता है जिससे मौके पर हर समय विवाद बढेगा इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की उपरोक्त दोनो खसरान की सम्पूर्ण भूमि का मौके पर सीमांकन कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाने की डिक्री प्राप्त करने प्रार्थी अधिकारी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी को अपने हक हिस्से की वादग्रस्त भूमि में काश्त कार्य करने, ट्रेक्टर वगैरा लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करने व रोक टोक नही करने एवं वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 940 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में अप्रार्थी द्वारा जबरन अवैध रूप से पत्थर निकालने से रोके जाने एवं वादग्रस्त भूमि उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का बैचान, हस्तान्तरण वगैरा करने से अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। नही तो मौके पर हर समय वाद विवाद बढेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में नही आंका जा सकता है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी सख्या 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमावे कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक वादग्रस्त उपरोक्त खसरान की सम्पूर्ण कृषि भूमि में से प्रार्थी के अपने 1/2 हक हिस्से व कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थी संख्या 1 न तो स्वयं दखलन्दाजी करे व न ही खसरा नम्बर 940 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबरन अवैध रूप से पत्थर निकाले एवं न ही अपने हाल ही एजेन्ट, नौकर मजदूर वगैरा से दखलन्दाज़ी व खनन न करावे एवं प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 बेदखल नही करे तथा न ही उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का बैचान, हस्तान्तरण वगैरा किसी को करे तथा उक्त वादग्रस्त सयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी को काश्त कार्य करने एवं आने जाने, आवागमन किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करे एवं राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत नही करने पर तारीख पेशी 13.12.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब बन्द किया गया एवं पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

लगातार---पेज-4

पेज-5

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि 632/7 रकबा 8 बीघा तथा खसरा नम्बर 940 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है तथा प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है इस कारण तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की अप्रार्थी द्वारा दखलन्दाजी पैदा कर दी जायेगी तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः उपरोक्त तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी सोहनलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाती हूँ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 632/7 रकबा 08 बीघा, खसरा नम्बर 940 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 21/12/17 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा